

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-17 / विविध 1-92 / 2025

पटना, दिनांक :- / / 2025

विभागीय अधिसूचना संख्या-573(17) दिनांक-03.06.2025 द्वारा निलंबित डा० कुमारी विभा, तत्कालीन प्राध्यापक, स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग-सह-प्रभारी अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है।

2. डा० कुमारी विभा, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहेंगी।
3. डा० कुमारी विभा के निलंबन अवधि एवं निलंबन अवधि के वेतनादि के भुगतान के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा।
4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-17 / विविध 1-92 / 2025 859 (17)

पटना, दिनांक :- 04 / 08 / 2025

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एव ह०) का कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

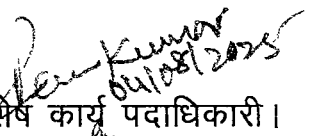
प्रतिलिपि :- जिला कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्राचार्य/अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- डा० कुमारी विभा, प्राध्यापक, स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग सम्प्रति मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।